

न्यायालय- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

क्र./व्य.न्या.वर्ग-2/2021

डोंगरगढ़, दिनांक 19.03.2021

प्रति,

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,
जिला एवं सत्र न्यायालय, राजनांदगांव
जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :- विशेष सूची पद्धति के अनुसार लंबित मामलों को सूचीबद्ध करते हुए निराकरण किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :- माननीय रजिस्ट्री, बिलासपुर का सर्कुलर नंबर-7317/एआर(जे) 2017 दिनांक 26.08.2017 एवं कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक क/एक-15-5/2017 राजनांदगांव, दिनांक 16 मार्च, 2021

-----00-----

माननीय महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित सिविल प्रकरण की विशेष सूची तैयार की गयी है जिन्हें दिन प्रतिदिन कार्यवाही हेतु नियत किया जावेगा। इस सूची में उल्लेखित प्रकरण में बाध्यकारी कारणों के अलावा स्थगन दिये बिना विचारण पूर्ण किया जाकर प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जावेगा।

तदनुसार अस्थायी विशेष सूची प्रकरण के त्वरित निराकरण हेतु अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है-

क.	प्र.क/सी. आई.एस. नं.	पक्षकारों का नाम	संस्थित दिनांक	वादी अधिवक्ता का नाम	प्रतिवादी अधिवक्ता का नाम	वर्तमान स्थिति	आगामी सुनवाई तिथि
1.	<u>CIVIL SUIT CLASS 11A/2015</u>	भूषण साहू विरुद्ध आनंदबती एवं अन्य	13.07.2015	श्री एम.एस. परिहार	श्री अरविंद सिंह, श्री दौलत महोबिया	आवेदन पर तर्क हेतु	23.03.2021
2.	<u>CIVIL SUIT CLASS 01A/2016</u>	धर्मेन्द्र साहू वगै. विरुद्ध अनुसूईया वगै.	12.01.2016	श्री आर.डी.साहू	श्री एम.एस. परिहार	वादी साक्ष्य हेतु	22.03.2021
3.	<u>CIVIL SUIT CLASS 13A/2015</u>	नित्यानंद शेण्डे वगै. विरुद्ध नंदकिशोर वगै.	23.07.2015	श्री शैलेन्द्र परिहार	श्री जसवंत बागड़े	वादी साक्ष्य हेतु	25.03.2021

सही -
(गिरीश पाल सिंह)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ0ग0)

पू.क.क/व्य.न्या.वर्ग-2/2021

डोंगरगढ़, दिनांक 19.03.2021

प्रतिलिपि :-

- 1- अध्यक्ष अधिवक्ता संघ डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव को संबंधित अधिवक्तागण को सूचित करने तथा आवश्यकता होने पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु।
 - 2- न्यायालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा किये जाने हेतु।
 - 3- प्रस्तुतकार, काज लिस्ट बोर्ड में चस्पा किये जाने हेतु।
 - 4- कम्प्यूटर शाखा, जिला न्यायालय के वेबसाईड में उपलब्ध करवाये जाने हेतु।
- नोट :-** माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित सिविल प्रकरण की विशेष सूची तैयार की गयी है। माह अप्रैल, 2021 में उक्त प्रकरण में बाध्यकारी कारणों के अलावा प्रकरण के अंतिम निराकरण तक कोई स्थगन प्रदान नहीं किया जावेगा और इस सूची के प्रकरण को दोनों पक्षों की साक्ष्य पूर्ण होने तक दिन-प्रतिदिन सुनवायी में लिया जावेगा। सूची में दर्शाये प्रकरण से संबंधित पक्षकारों के अधिवक्तागण यदि कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 26.03.2021 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

गिरीश पाल सिंह
19/3/21
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,